न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 18/2018

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 12/03/2018

निर्णय दिनांक : 03/7/2019

राजू पुत्र पांचूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादी

बनाम

1. रामा पुत्र भागीरथ, जाति जाट, निवासी ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0। (मृतक) नाम हजफ किया गया।
2. गलकू पत्नी रामा, जाति जाट, निवासी ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
3. पांचूराम पुत्र रामा, जाति जाट, निवासी ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
4. श्रीमान तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
5. श्रीमान प्रबन्धक महोदय एस.बी.आई. बैंक शाखा दूदू जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – *श्री नारायणसहाय पारीक*
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री शिवराम शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 5 फोरमल पक्षकार है।

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 3/7/19

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 आपस में पिता पुत्र है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 वादी के दादा दादी है आराजीयात वाके ग्राम दांतरी एवं पातुडी में स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

जो पुश्तैनी आराजीयात है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व जमाबंदी में निम्नानुसार दर्ज है जिसे परिशिष्ट से दर्शाया गया है:- परिशिष्ट–1 खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 480 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 486 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, नम्बर 492/2 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 705/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2534/1 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 12 बिघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी में स्थित है जिसमें रामा के दर्ज 1/3 हिस्सा जो वादी का है। परिशिष्ट–2 खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 355 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3000 हैक्टेयर वाके ग्राम पातुडी तहसील दूदू में रामू उर्फ रामा का 1/2 का हिस्सा 1/3 हिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा जो वादी का है। परिशिष्ट–3 खाता संख्या 16 के आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 0. 1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 1.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 1.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 6.1800 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी, तहसील दूदू में रामू उर्फ रामा का 1/2 हिस्सा जो वादी का है, परिशिष्ट–4 खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 7.9000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबाा 7.9000 हैक्टेयर वाके ग्राम पातुडी में रामा का 1/3 हिस्सा है, जो वादी का है। परिशिष्ट–5 खाता संख्या 18 के आराजी खसरा नम्बर 220 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 2.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.8900 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी तह0 दूदू में रामा का 1/3 हिस्सा जो वादी का हैं। परिशिष्ट–6 खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी तह0 दूदू में रामा 1/12 हिस्सा जो वादी का है। परिशिष्ट–7 खाता संख्या 41 के आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 401 रकबा 2.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 488 रकबा 3.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 1.7400 हैक्टेयर, कुल कित 08 कुल रकबा 13.3500

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

शेयर वाके ग्राम पातूडी तह0 दूदू में 1/2 का 1/6 जो वर्तमान में रामा के नाम है तथा वादी काबिज हैं। परिशिष्ट–8 खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू में स्थित है, जो वर्तमान में झमकू पत्नी रामा के नाम दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी आराजीयत है तथा वादी एकमात्र उत्तराधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 जो प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 के कहे अनुसार कार्य नही कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 को विवादित आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है वे अक्सर बाहर घुमते रहते हैं। खाता संख्या 15, 16 रामू पुत्र भागीरथ दर्ज है, जबकि रामू की जगह रामा होना चाहिये तथा परिशिष्ट 8 झमकु पत्नि रामा है जबकि गलकू पत्नि रामा होना चाहिये उक्त दुरूस्ती बाबत प्रतिवादी संख्या 4 से काफी विनय किया लेकिन हमेशा टालमटोल करते रहे तथा अभी हाल ही में इन्होने दुरूस्त करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया जिससे वाद दुरूस्ती पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी इस अमर की फरमायी जावे कि परिशिष्ट 1 से 8 तक दर्ज खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का नाम हजक किया जावे एवं वादी को खातेदार काश्तकर घोषित किया जावे तथा परिशिष्ट 1 लगायत 3 में दर्ज रामू की जगह रामा दर्ज किया जावे एवं परिशिष्ट 8 में दर्ज झमकू पत्नि रामा की जगह गलकू पत्नि रामा दर्ज किया जवो।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 22.10.2018 को वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 151 जा0 दी0 पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 151 जा0 दी0 पर सुना गया। वकील प्रतिवादी ने आपत्ति नही होना जाहिर करने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 18/12/2018 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 24/12/2018 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 ने राजीनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 26/02/2019 को तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु लिखा गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

संख्या 5 फोरमल पक्षकार हैं। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी किता–6, पहचान–पत्र, आधारकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि है कि विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है, वादी के कथनानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 आपस में पिता पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 वादी के दादा–दादी हैं। चूंकि विवादित आराजीयात वादी के दादा–दादी के नाम से है, जो पैतृक मौरूसी मुश्तकौ आराजीयात होने से उसमें वादी अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पौत्र का कानूनन जन्म से हक व हिस्सा बनता है प्रतिवादी संख्या 3 जा कि वादी का पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है तथा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुये अपनी पूर्ण सहमति दी हैं, इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में रामू पुत्र भागीरथ दर्ज है एव झमकू पत्नी रामा दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम रामू के स्थान पर रामा एवं झमकू की जगह गलखू दर्ज है, जिससे यह पाया जाता है कि उक्त त्रुटि सहवन से हुयी है, चूकि विवादित आराजी दादा के नाम से है एवं उसमें पौत्र द्वारा हक व हिस्सा मांगा जा रहा है तथा प्रकरण में भी पक्षकारान द्वारा राजीनामा भी पेश किया जा चुका है, जिनको किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 480, 486, 487, 492/2, 705/2, 2534/1 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू, खाता संख्या 15 के आराजी खसरा नम्बर 355 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, खाता संख्या 16 के आराजी खसरा नम्बर 298, 393, 396, 398, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418 कुल किता 11 कुल रकबा 6.1800 हैक्टेयर वाके

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, खाता संख्या 17 के आराजी खसरा नम्बर 486 कुल किता 01 कुल रकबा 7.9000 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी तहसील दूदू, खाता संख्या 18 के आराजी खसरा नम्बर 220, 357, 366, 457, 485 कुल किता 05 कुल रकबा 3.8200 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, खाता संख्या 42 के आराजी खसरा नम्बर 229 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, खाता संख्या 41 के आराजी खसरा नम्बर 230, 232, 234, 236, 401, 487, 488, 490 कुल किता 08 कुल रकबा 13.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम पातूडी, तहसील दूदू, खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नम्बर 493, 494 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खाता संख्या 42, 15, 16 में दर्ज खातेदार रामू के स्थान पर रामा एवं खाता संख्या 78 में दर्ज खातेदार झमकू के स्थान पर गलकू दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी अधिकारी दूदू मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

नोट:- आदेश दिनांक 24/9/19 के अनुसार निर्णय दिनांक 03/7/19 के पृष्ठ सं 5 के पंक्ति क्र 10 मा दर्ज घोषित किया जाता है के पश्चात "खाता सं 42, 15, 16 में दर्ज खातेदार रामू के स्थान पर रामा एवं खाता सं 78 में दर्ज झमकू के स्थान पर गलकू शुद्ध किया जाकर एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है" पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अन्तिम डिग्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बूड़

बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

शाबू पुत्र पांचूराम जाति पातूडी बनाम 1. रामा S/0 भागीरथ जाट (मृतक)

दावा बाबत घोषणात्मक 2. गलकू पत्नी रामा जाट

मुकदमा नं. 18/2016 सन 3. पांचूराम S/0 रामा जाट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री नारायणराम [illegible] 4. TDR Budu

मिनजानिब मुद्दई रूबरू शिवराज शर्मा एड 5. प्रबंधक C.B.I. 35

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर काश्तकार खाता सं० 42 के आ०ब०स० 480, 486, 487, 492/2, 705/2, 2534/1 कुल किता-06 कुल रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी तह० 35 खाता सं० 15 के आ०बि०स० 355 कुल किता-01 कुल रकबा 0.0300 है० वाके ग्राम पातूडी तह० 35 खाता सं० 16 के आ०बि०स० 298, 393, 396, 398, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418 कुल किता 11 कुल रकबा 6.1800 है० वाके ग्राम पातूडी तह० 35 खाता सं० 17=2

निज [illegible] मुद्दालेह [illegible] वादी [illegible] फरीकैन [illegible] आज की तारीख से

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वगैरह

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 07 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी बूड़

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

=ः- के आ० खि०न० 486 कुल किता 1 कुल रकबा 2.9000 है० वाके ग्राम पानुडी त० 35 खाता नं० 18 के आ० ख० न० 220, 357, 366, 457, 485 कुल किता 05 कुल रकबा 3.8200 है० वाके ग्राम पानुडी त० 35 खाता नं० 42 के आ० खि० न० 228, कुल किता 1 कुल रकबा 0.4000 है० वाके ग्राम पानुडी त० 35 खाता नं० 41 के खि० न० 230, 232, 234, 236, 401, 487, 488, 490 कुल किता 08 कुल रकबा 13.3500 है० वाके ग्राम पानुडी त० 35 खाता नं० 78 के आ० खि० न० 493, 494 कुल किता 2 कुल रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी त० 35 प्रतिवादी नं० 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है खाता नं० 42, 15, 16, मे दर्ज खातेदार रामु के स्थान पर रामा एवं खाता नं० 78 मे दर्ज खातेदार अमरु के स्थान पर गलकु दर्ज किया जाता है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

नोट:- आदेश दि० 25/9/19 के अनुसार डिक्री दिनांक 3/7/19 के पृष्ठ नं० 2 पर दर्ज घोषित किया जाता है के पश्चात खाता नं० 42, 15, 16, मे दर्ज खातेदार रामु के स्थान पर रामा एवं खाता नं० 78 मे दर्ज अमरु के स्थान पर गलाकु शुद्ध किया जाकर एवं प्रतिवादी नं० 1 व 2 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादी को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पढा जावे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.25 11:28:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: